13 जनवरी को शासन ने जारी किए है नियम

अवैध कॉलोनी में शुरू हो विकास कार्य: काश्यप

रतलाम. शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने नगर निगम प्रशासक को पत्र लिखकर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित नियमावली अनुसार अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा है। उनके अनुसार शासन द्वारा 13 जनवरी को अवैध-कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु राजपत्र में नियमावली का प्रकाशन कर दिया गया है। इस अनुसार रतलाम में नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाना चाहिए।

विधायक काश्यप ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में हजारों परिवार निवासरत हैं, जिन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा, लोन सुविधा एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्यों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। शहर में वर्ष 2018 में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत 50 कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए निविदाएं जारी कर कार्य भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के आदेश से सारे कार्य निरस्त कर दिए गए थे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में नई नियमावली के प्रकाशन के बाद जनहित के उक्त रुके हुए कार्य फिर से प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विधायक ने निगम प्रशासक से शहर की अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के साथ-साथ इन कॉलोनियों में विकास कार्यों की शुरूआत भी जल्द करने पर जोर दिया है।

पत्रिका/ 26/1/22

शासन की नियमावली अनुसार अवैध कॉलोनियों का किया जाए नियमितीकरण : काश्यप

रतलाम | विधायक चेतन्य काश्यप ने नगर निगम प्रशासक को पत्र लिखकर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित नियमावली अनुसार अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण का काम जल्द शुरू करने का कहा है। उनके अनुसार शासन द्वारा 13 जनवरी को अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए राजपत्र में नियमावली का प्रकाशन कर दिया है। इसके मुताबिक रतलाम में नियमितिकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाना चाहिए।

विधायक काश्यप ने कहा अवैध कॉलोनियों में हजारों परिवार निवासरत है, जिन्हें नियमितिकरण की प्रक्रिया [illegible] होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा, लोन सुविधा एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्यों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। रतलाम में 2018 में अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 50 कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए निविदाएं जारी कर कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के आदेश से सारे कार्य निरस्त कर दिए थे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में नई नियमावली के प्रकाशन के बाद जनहित के उक्त रुके हुए काम फिर से शुरू करने का अवसर मिला है। उन्होंने निगम प्रशासक से रतलाम की अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के साथ इनमें विकास कार्यों की शुरुआत जल्द करने पर जोर दिया है।

दै. भास्कर 26/1/22

कोरोना को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही सरकार

रतलाम। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या एक हजार के पार पहुंच गई है। एक सप्ताह से 100 से 150 के बीच नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार के स्तर पर कोरोना नियंत्रण के लिए मंत्रियों की जिम्मेदारी तय नहीं होना और प्रशासन स्तर पर अधिक सक्रियता नहीं दिखना इसका प्रमाण हैं।

पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना बच्चों, बुजुर्गों और ग्रामीणों सभी को शिकार बना रहा है। कुछ मरीजों को आइसोलेशन वार्ड, तो अधिकांश को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। जिले में तेजी से फैल रहे संक्रमण ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चिंतित कर रखा है। दरअसल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। आदिवासी अंचल सैलाना और बाजना क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इधर मांगलिक आयोजनों में काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे संक्रमण की रफ्तार और बढ़ने की आशंका है।

पिछले साल जब कोरोना संक्रमण बढ़ा था, तो सरकार ने अपने मंत्रियों को जिलावार जिम्मेदारियां सौंप दी थीं। रतलाम में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कोविड प्रभारी मंत्री रहे। उन्होंने निरंतर पर्यवेक्षण कर कोरोना नियंत्रण के प्रयास किए। इस बार कोरोनाकाल में एक सुखद बात ये है कि इसके मरीज गंभीर स्थितियों में नहीं आ रहे और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी नहीं के बराबर है, लेकिन इसे देखकर सरकार की सक्रियता कम होना समझ से परे है। कोरोना भले ही भयावह नहीं हो रहा, लेकिन उसका संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार से गंभीर सक्रियता की उम्मीद की जा रही है अन्यथा लगेगा कि वह मौतों का इंतजार कर रही है। उजाड़

उजाड़ 27/1/22

132 नए पाजिटिव केस, 116 स्वस्थ हुए

रतलाम। जिले में कोरोना की तीसरी लहर हर तरफ तेजी से पैर पसार रही है। रोजाना अलग-अलग इलाकों से नए-नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। लगातार ग्यारहवें दिन मंगलवार को 100 से ज्यादा पाजिटिव केस सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर एक हजार के पार पहुंच गई है। संक्रमितों की संख्या में वृद्धि ने सभी को चिंतित कर दिया है। मंगलवार को कोरोना के 132 नए पाजिटिव केस सामने आए, वहीं 116 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1002 हो गई है। जिले में अब तक 19403 पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, वहीं 18090 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत का आंकड़ा 311 है। शासकीय मेडिकल कालेज की लैब से 1429 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है।

इस तरह बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ

तारीख	पाजिटिव		
25 जनवरी	132	20 जनवरी	150
24 जनवरी	150	19 जनवरी	141
23 जनवरी	149	18 जनवरी	118
22 जनवरी	137	17 जनवरी	108
21 जनवरी	140	16 जनवरी	108
		15 जनवरी	101

नईदुनिया 26/1/22

स्वजन ने कार्रवाई रोकने की कोशिश की,

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आदतन अपराधियों व सटोरियों के खिलाफ जिला व प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार दोपहर दीनदयाल नगर में विभिन्न मामलों के आरोपित दीपक उर्फ दीपू टांक का तीन मंजिला मकान तोड़ दिया गया। स्वजन विरोध करने लगे तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा दिया। मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही दीपक के एडवोकेट मौके पर स्टे की कापी लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने आपस में चर्चा की व नगर निगम के एडवोकेट से राय ली। इस कारण करीब 20 मिनट तक कार्रवाई रुकी रही। इसके बाद पुनः मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई और करीब सवा घंटे तक चली कार्रवाई में मकान का अगला हिस्सा बुलडोजर से तोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि सट्टे के रुपयों को लेकर हुए विवाद को लेकर 21 जनवरी की शाम आरोपित अकबर हुसैन व उसके दो साथियों ने दोपहिया वाहन पर पहुंचकर भाटों का वास पर सोहनलाल राठौड़ उर्फ दादू के नमकीन के हाथ ठेले पर पिस्टल से फायर किए थे। क्षेत्रवासियों ने सट्टे को लेकर आक्रोश व्यक्त किया था। दो घंटे बाद ही प्रशासन ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व एसपी गौरव तिवारी के निर्देशन में सख्ती दिखाते हुए मुख्य आरोपित अकबर हुसैन का मकान धराशाही कर दिया था। वहीं रविवार तक चार दिन में अन्य सटोरियों, आदतन अपराधियों, गुंडे-बदमाशों के 17 मकान तोड़े गए थे। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे से पुनः कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्रशासन, नगर निगम व पुलिस का अमला दीनदयाल नगर में दीपक उर्फ दीपू टांक के घर के बाहर पहुंचा और यातायात बंद कर पुलिस बल तैनात किया गया। शाम करीब साढ़े चार बजे तक कार्रवाई चलती रही। इस दौरान एडीएम एमएल आर्य, एएसपी डा. इंद्रजीत बाकरवाल, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, नगर निगम के अधिकारी, अनेक थाना प्रभारी व जवान उपस्थित रहे।

दीनदयालनगर क्षेत्र में दीपू टांक का मकान तोड़ती हुई जेसीबी। • नईदुनिया

स्टे की प्रति दिखाते हुए अभिभाषक पंकज रजक। • नईदुनिया

अतिरिक्त निर्माण की नपती कराना थी

दीपक के एडवोकेट पंकज रजक ने मीडिया को बताया कि इस प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन लगाया था कि कितना अतिरिक्त निर्माण है, इसकी कमिश्नर नपती करा ले। उसके बाद तोड़ देना। न्यायालय ने 27 जनवरी तक यथास्थिति का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि तब तक नगर निगम का अमला वहां नहीं जाएगा। बड़े-बड़े अधिकारी यहां है, जिन्हें यथास्थिति का आर्डर दिखाया। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने यह बोलकर तोड़ दिया कि उन्हें नगर निगम आयुक्त का फोन नहीं आया। किसी ने आदेश नहीं माना।

एमओएस के आधार पर नोटिस दिया था

नगर निगम ने एमओएस के आधार पर नोटिस दिए थे, इसी आधार पर मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है। दीपक पर सूदखोरी सहित अनेक मामले दर्ज है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए पुलिस बल के साथ आए थे। - **अभिषेक गेहलोत, एसडीएम शहर**

दीनदयालनगर मे कार्रवाई के बाद दीपू टांक का मकान। • नईदुनिया

राकेश सकलेचा व बाला पारगी जिला बदर

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एसपी के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत रामगढ़ निवासी राकेश उर्फ पप्पू सेवसी पुत्र मन्नालाल सकलेचा को एक वर्ष की अवधि के लिए व पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत बावड़ी मोहल्ला निवासी बाला पिता नंदराम पारगी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपित रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

मंत्री भदौरिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे

रतलाम ● स्वदेश समाचार

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया है। प्रभारी मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। प्रात: 9 बजे परेड का निरीक्षण ,संदेश का वाचन, हर्ष फायर, 9.35 बजे मार्च पास्ट, 9.45 बजे झांकियों का प्रदर्शन होगा। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण किए जाएंगे।

जिले में सभी शासकीय कार्यालयों , शैक्षणिक संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं, राजनैतिक दलों के कार्यालयों पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम सहित अन्य आयोजन आयोजित किए गए है। भाजपा के पैलेस रोड स्थित जिला कार्यालय पर प्रात: 8.15 बजे पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह लुनेरा एवं जिला प्रभारी श्यामसुंदर शर्मा तिरंगा फहरायेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाम 5 बजे शहीद चौ भारत माता की आर आयोजन किया गया है।

50 स्थानों पर होगी भारती माता की आरती

जिले मे बस्ती मोहल्ले व चौराहे पर स्वराज 75 अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान मे भारतमाता की सामुहिक आरती अलग स्थानो पर आयोजित की है, जो सांय 6 बजे से अलग अलग अलग समय पर होगी , जिसमे कोविड प्रोटोकाल के पालन के साथ भारत माता का चित्र लगाकर देशभक्ति गीत के साथ वक्ताओ का संक्षिप्त उदबोधन होगा। उक्त जानकारी समिति के जिला संयोजक महेन्द्र गादिया सह संयोजक विम्पी छाबड़ा,सुरेन्द्र सिंह भाभरा ने देते हुए बताया कि स्टेशन क्षेत्र सज्जन मिल ,राम मंदिरअल्कापुरी कस्तूरबा नगर काटजू नगर, बंजली ,लक्ष्मण पूरा ,पीएनटी कॉलोनी,मुखर्जी नगर , डोंगरेनगर ,नगर निगम , डालुमोदी बाजार, धानमंडी , चांदनीचौक ,टाटा नगर ,ईश्वर नगर , सुभाष नगर, दीनदयाल नगर , धीरज शाह नगर, भगतपुरी, तेजा नगर , मित्र निवास, महू रोड ,उकाला रोड ,समता परिसर आदि स्थानों व बस्तियो में होगी सभी समाज जन संगठनो से अपने अपने क्षेत्रों मे आरती मे भाग लेने की अपील की।

स्वदेश 26/1/22

जिले में गणतंत्र दिवस गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा

रतलाम। इस वर्ष भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरे रतलाम जिले में गरिमामय ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय

▸ जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री भदौरिया ध्वजारोहण करेंगे

रतलाम के पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे।

वे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के संदेश का वाचन भी करेंगे। मुख्य समारोह में प्रात: 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा । इस अवसर पर राष्ट्रगान होगा। परेड में पुलिस, एसएएफ, होमगार्ड के दल सम्मिलित रहेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यालयों में प्रात: 7.30 बजे से 8 बजे तक ध्वजारोहण कर लिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान उनके निवास स्थान पर जाकर किया जाएगा।

नवभारत 26/1/22

उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस

रतलाम। गणतंत्र दिवस समारोह परंपरागत तौर तरीकों से उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ जहां जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदोरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गई जिनमें शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी सहित अन्य उपस्थित रहे। संचालन आशीष दशोत्तर एवं पूर्णिमा शर्मा ने किया। कार्यक्रम के उपरांत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान उनके निवास स्थान पर जाकर किया गया।

26/1/22

राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, वोटर आईडी वितरित किए

रतलाम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां एडीजे योगेंद्र त्यागी मुख्य अतिथि थे।

मतदान करने की उपस्थितों को दिलाई शपथ

विशिष्ट अतिथियों में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी शामिल थे। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रजनीश सिन्हा भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश देखा-सुना गया। नवीन मतदाताओं को वोटर आईडी वितरित किए गए। उपस्थितजनों को एडीजे योगेंद्र त्यागी द्वारा मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को बेज लगाए गए।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में एडीजे श्री त्यागी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में मताधिकार का सर्वाधिक महत्व है।

प्रत्येक मतदाता को सोच-समझकर अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने नवीन मतदाताओं को बधाई भी दी।

कलेक्टर ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक मतदाता का लोकतंत्र में महत्व है। प्रत्येक वोट की कीमत होती है। एक-एक वोट से हार-जीत तय होती है, इसलिए अपने मताधिकार का महत्व हमेशा समझे और सोच समझकर मतदान करें।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र को मतदाता मजबूत बनाते हैं।

मतदान का अधिकार लोकतंत्र की सुंदरता है। अपने मत के अधिकार का हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन आशीष दशोत्तर ने किया। सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े ने आभार माना।

नवभारत

नवभारत 26/1/22

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 31 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित दिए

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तथा डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावद द्वारा 31 आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम भारोडा निवासी गिरवर पिता लक्ष्मण माली ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी के खेत से दूसरे खेत पर जा रही पाइप लाइन 8 लाइन कार्य के दौरान कार्य करने वालों द्वारा तोड दी गई थी तथा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को दोबारा लगाने की बात कही गई थी परन्तु एक साल बाद भी उक्त क्षतिग्रस्त पाइप लाइन ठीक नहीं की गई है जिससे फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही है तथा काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार ग्रामीण को प्रेषित किया गया है।

शहर सराय निवासी श्यामसुंदर राठौड ने आवेदन देते हुए बताया कि हमदेश प्रेस वाली गली में कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर करीब 100 फीट अवैध अतिक्रमण पक्का निर्माण कर लिया गया है जिससे उक्त गली से वाहन निकलने में काफी परेशानी होती है, अतः उक्त गली को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए आयुक्त नगर निगम को भेजा गया है। भाटों का वास निवासी गणेश सरतलिया ने बताया कि प्रार्थी विगत तीन वर्ष से हरदेवलाला पीपली के पास गुमटी लगाकर अपना जीवन-यापन करता था परन्तु कुछ दिनों पूर्व नगर निगम की गैंग द्वारा गुमटी बिना सूचना दिए उठा ली गई है जिससे प्रार्थी को आजीविका चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थी को गुमटी वापस दिलवाई जाए। निगम आयुक्त को प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। ग्राम पंचाय खेडीकला की प्रधान मंजूबाला तथा सचिव ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि शा. प्राथमिक विद्यालय भोजपुरा में दो शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों ही शिक्षक अनियमित रुप से स्कूल में आते हैं। न तो स्कूल खुल पाता है और न ही विद्यार्थियों की तरफ ध्यान दिया जाता है। अतः उक्त दोनों शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। प्रकरण नराकरण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है।

जनसुनवाई में 31 आवेदना के निराकरण के निर्देश

जनसुनवाई करते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम। ● नईदुनिया

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावद द्वारा 31 आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान शहर सराय निवासी श्यामसुंदर राठौड़ ने आवेदन देते हुए बताया कि हमदेश प्रेस वाली गली में कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर करीब 100 फीट अवैध अतिक्रमण पक्का निर्माण कर लिया गया है। जिससे उक्त गली से वाहन निकलने में काफी परेशानी होती है। उक्त गली को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए आयुक्त नगर निगम को भेजा गया है।

ग्राम पंचायत खेड़ीकलां की प्रधान मंजूबाला तथा सचिव ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि शा. प्राथमिक विद्यालय भोजपुरा में दो शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों ही शिक्षक अनियमित रूप से स्कूल में आते हैं। न तो स्कूल खुल पाता है और न ही विद्यार्थियों की तरफ ध्यान दिया जाता है। अतः उक्त दोनों शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। प्रकरण निराकरण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है।

विकास के मार्ग पर चल रहा रतलाम
अब बदल रहा रतलाम

रतलाम। रतलाम ने विकास के मार्ग चर चलने का संकल्प ले लिया है। बदलते सोच में अब स्वच्छता से लेकर जैविक खाद की दिशा में तेजी से रतलाम आगे बढ़ रहा है। शहर में घर-घर जैविक खाद बनाने की शुरुआत हो रही है तो शहर को चारों तरफ से सिटी फोरलेन से लेकर टू लेन बनाने का कार्य हो रहा है। जब पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के दौर में बदल रहा है व अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है तब रतलाम भी इससे अछूता नहीं है।

पहली बार हो रही बेहतर सफाई

शहर के अमृत सागर तालाब की वैसे तो कई बार सफाई हुई, लेकिन पहली बार दृढ़ निश्चय के साथ सफाई होती नजर आ रही है। जलकुंभी निकालने का काम तो चल रही रहा है, इसके साथ - साथ हाथों-हाथ जैविक खाद भी बन रही है। ऐसे में अब नगर निगम के कर्मचारी भी इसमे पीछे नहीं है व हर कर्मचारी अपने घर में बाल्टी में जैविक खाद बनाने का कार्य कर रहा है। कुछ ही दिन में पूरा शहर अपने घर में जैविक खाद बनाने लगेगा।

फोरलेन व टू लेन का जाल

शहर के विकास के लिए जरूरी है बेहतर सड़क। ऐसे में शहर में विधायक चेतन्य काश्यव की विकासवादी सोच के बाद शहर में सिटी फोरलेन व टू लेन का जाल बिछना शुरू हो गया है। जावरा रोड चौराहे से लेकर सालाखेड़ी, फव्वारा चौक से कोर्ट तिराहा सहित बड़बड़े से लेकर श्री राममंदिर होते हुए पावर हाउस रोड से लेकर दो बत्ती व मित्रनिवास रोड पर इसका निर्माण हो गया है। अब शहर में शेष स्थान पर भी इसका निर्माण शुरु होने जा रहा है।

रात्रिकालीन सफाई ने बदला सोच

किसी भी शहर के विकास व बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता का महत्व है। शहर में दिन व शाम को तो सफाई होती ही है, अब नगर निगम प्रशासक व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के दृढ़ निश्चय, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के प्रयास व उपायुक्त विकास सोलंकी के सहयोग से सैकड़ों कर्मचारियों ने शहर को दिन व शाम के साथ-साथ रात में भी साफ करने का बीड़ा उठा लिया है। रात में सफाई ने शहर को और सुंदर बना दिया है।

जीवन को बना रहे आनंदमय

आमतौर पर नगर निगम का कार्य शहर के विकास से जुड़ा होता है, लेकिन निगम के कुशल अधिकारियों ने कोरोना काल के बाद शहर के वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता की व पहली बार हनुमान ताल पर आनंद उत्सव के आयोजन की पहल की गई। हर रविवार को होने वाले इस आयोजन में शहर की भागीदारी सकारात्मक रुप से हो रही है।

उद्योगों का जाल बिछाएंगे

शहर के समुचित विकास के साथ उद्योगों का जाल बिछाने के लिए योजना अनुसार कार्य चल रहा है। इसके लिए टू लेन व फोरलेन निर्माण कार्य पहले चरण में जारी है।

▪ चेतन्य काश्यप, रतलाम विधायक

स्वच्छता के बिना विकास अधूरा

किसी भी शहर में विकास के लिए स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता अभियान में जरूरी कार्य किया जा रहा है। आमजन भी इसमें सहयोग करें।

▪ कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर व प्रशाशक, नगर निगम

लक्ष्मी भी गंदी जगह नहीं आती

शास्त्रों में लिखा हुआ है, जहां गंदगी रहती है वहां लक्ष्मी भी नहीं आती। शहर स्वच्छ रहेगा तो बड़े निवेशक आकर्षित होंगे। विकास के लिए स्वच्छता जरूरी है।

▪ सोमनाथ झारिया, आयुक्त, नगर निगम

नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.) पत्रिका

पत्रिका 26/1/22

दीनदयालनगर में हिस्ट्रीशीटर सूदखोर दीपू टांक का एक और मकान तोड़ा

स्टे दिखा वकील ने रोकने की कोशिश की, अधिकारियों ने कानूनी सलाह ले की कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | रतलाम

गुंडों के खिलाफ कार्रवाई में मंगलवार को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम ने ब्याजखोर दीपू टांक का मकान गिराया। दोपहर को मकान गिराने की कार्यवाही शुरू हुई और दस मिनट बाद कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर पहुंचे दीपू के वकील ने कार्यवाही रोकने को कहा। एसडीएम अभिषेक गेहलोत और एएसपी इंद्रजीत बाकलवार ने कोर्ट का आदेश पढ़ा। निगम के वकील से सलाह ली। और कार्यवाही शुरू हो गई। 4:30 बजे तक मकान के एमओएस (मिनिमम ओपन स्पेस) तोड़ने के बाद कार्यवाही रोककर टीम वापस रवाना हो गई।

मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे पुराने कंट्रोल रूम पर पुलिस और नगर निगम की टीम एकत्रित होने लगी। कार्यवाही कहां होनी है यह किसी को जानकारी नहीं थी। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने सीएसपी हेमंत चौहान को टीम लेकर दीनदयाल नगर मेन रोड पर दीपू टांक के घर पहुंचने के लिए कहा। दोपहर 3 बजे बाजना बस स्टैंड से आगे बढ़ी 3:10 बजे से जेसीबी और पोकलेन ने दीपू टांक को मकान तोड़ना शुरू किया। 3:15 बजे पहुंचे अभिभाषक पंकज रजक ने स्टे आर्डर दिखाते हुए कार्रवाई रोकने को कहा। एसडीएम और एएसपी ने आदेश पढ़ा। इस बीच दीपू के परिजन घर के अंदर चले गए। अधिकारियों ने नगर निगम के वकील से फोन पर सलाह ली। एएसपी ने पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने का इशारा किया और दीपू के घरवालों को मकान से बाहर निकलने की चेतावनी दी। महिला इंस्पेक्टर पिंकी आकाश ने घर में घुसकर महिलाओं से कहा 'तुम लोग खुद बाहर निकले हो या मैं बाहर निकालूं?' बाहर खड़े एएसपी बाकलवार ने भी घर में घुसे युवकों को सख्ती की चेतावनी दी तो सभी बाहर निकल आए। 3:25 बजे पोकलेन ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार नगर निगम ने दीपू टांक को दो नोटिस दिए थे। एक नोटिस में 24 घंटे में निर्माण हटाने तथा दूसरे में 6 घंटे में निर्माण हटाने के आदेश दिए थे। 6 घंटे में कार्यवाही करने की सूचना मिलने के बाद भी घर में रखा सामान खाली करने के बजाय दीपू ने स्टे ऑर्डर लाने में समय गंवा दिया।

अधिकारियों ने स्टे को लेकर नगर निगम के वकील से बात की और दोबारा तोड़ना शुरू कर दिया एमओएस पर बना निर्माण।

व्यवस्था के लिए रहे

नगर निगम ने एमओएस नोटिस दिए थे। इसी आधार पर निगम कार्यवाही कर रहा है। कार्यवाही के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए भारी पुलिसबल के साथ हम मौजूद हैं।

अभिषेक गेहलोत, एसडीएम

हम अदालत जाएंगे

न्यायालय द्वारा 27 जनवरी तक स्टे देने के बावजूद मकान तोड़ा है। हमें कहा कि कार्रवाई रोकने का आदेश कमिश्नर से नहीं मिला है। हमने आदेश की नकल दिखाई इसके बावजूद कार्यवाही की है। न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

पंकज रजक, अभिभाषक भास्कर

द. भास्कर 26/1/22

गंदगी-कचरा करने पर दुकानें होने लगीं सील

रतलाम, नप्र। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर निगम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर

रतलाम नगर निगम ने अब गंदगी और कचरा पाए जाने वाली दुकानों पर जुर्माना कर दुकान सील की जाने लगी है। कल ही ऐसी चार दुकानों को चौबीस घंटे के लिए सील की गई। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शहर की चार होटलों के अलावा एक मावा दुकान पर कचरा पाए जाने पर जुर्माना कर दुकानों को सील किया। निगम ने मावा दुकान पर तीन हजार, महूरोड की एक होटल पर डेढ़ हजार का जुर्माना करके अलावा सज्जनमिल और बरबड रोड की दो दुकानों पर एक-एक हजार का जुर्माना किया। गायत्री टॉकीज क्षेत्र में भी एक दुकानदार पर 500 का जुर्माना किया। इसके अलावा मास्क लगाए बिना घूमने वाले ऐसे 17 लोगों पर सौ-सौ रुपए का जुर्माना किया।

प्रभात किरण 25/1/22

गंदगी करने पर 4 दुकानें सील, बगैर मास्क घूमने पर 17 पर जुर्माना

रतलाम ● ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 4 दुकानदारों द्वारा गंदगी करने पर 24 घन्टे लिये दुकानें सील कर जुर्माना किया गया। अशोक कुमार चांदनी चौक पर 3000, आनन्द श्री महू रोड पर 1500, राम मोहन सज्जन मिल रोड व धर्मेन्द्र बरबड़ रोड पर 1000-1000 रूपये का जुर्माना कर 24 घन्टे के लिए दुकाने सील की गई। गायत्री टॉकिज क्षेत्र में गंदगी करने पर धर्मेन्द्र पर 500 रूपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 17 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

स्वदेश 26/1/22

कलेक्टर के निर्देशानुसार शहर में की जा रही कार्रवाई

गंदगी फैलाने वाली चार दुकानें 24 घंटे के लिए सील, लगाया जुर्माना

कस्तूरबानगर में रेस्टोरेंट सील करते हुए नगर निगम कर्मचारी। ●नईदुनिया

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को चार दुकानदारों द्वारा गंदगी करने पर 24 घंटे लिए दुकानें सील कर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर राजभोग रेस्टोरेंट कस्तूरबा नगर, अपना होटल अलकापुरी, मौर्य होटल, शर्मा होटल पावर हाउस रोड मंडी गेट के पास को 24 घंटे के लिए सील किया गया। इसके अलावा बबीता त्रिवेणी रोड, किशोर त्रिपोलिया गेट से 500-500, जय बजरंग धानमंडी से 250 व लालचंद से 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

सुदामा परिसर से छह अवैध कनेक्शन विच्छेद : अवैध नल कनेक्शन विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है। इसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए सुदामा परिसर से छह अवैध नल कनेक्शन विच्छेद किए गए। साथ ही विभिन्न वार्डों में 95510 रुपये की बकाया जलकर की वसूली की गई।

न्यूज गैलरी

8534 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार तक 8534 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

83 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से एकत्रित किया जा रहे कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को 83 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया।

नईदुनिया 26/1/22

जमानतदारों को भी अपने दायरे में लेगी पुलिस

गुंडों-बदमाशों पर अब पुलिस ऐसे भी कसेगी शिकंजा

रतलाम. आम जनता को गुंडे-बदमाशों की गुंडागर्दी और उनके भय से मुक्त कराने के लिए पुलिस ने अब दूसरी योजना के तहत कार्रवाई के लिए अपनी कार्ययोजना शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने सभी थाना प्रभारियों को जमानत पर छूटने के बाद गुंडागर्दी करने वाले, चाकूबाज, गोली चलाने एवं अन्य गंभीर अपराधों में शामिल बदमाशों की जमानत निरस्त करवाने की कार्रवाई के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

एसपी तिवारी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जनवरी 2021 के बाद अपने-अपने थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी, गोलीबारी या अवैध वसूली, सूदखोरी के ज्यादा मामले वाले आरोपियों की सूची तैयार की जाए। ऐसे आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल कर इन पर कार्रवाई की तैयारी करें। पूर्व के गंभीर अपराधों में जमानत पर छूटकर आए हैं और उसके बाद फिर से किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने वालों पर खास नजर रखें और उनकी जमानत को निरस्त करवाने के लिए कदम उठाएं जाएं।

एसपी का कहना है कि जमानत के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपराध को अंजाम देता है या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है तो उसके जमानतदार के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व में घटित वारदातों में जमानत पर छूटकर आए बदमाशों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। जमानत पर आने के बाद भी गंभीर आपराधिक वारदातों में शामिल रहने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त करवाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। पूर्व में ऐसे बदमाशों की जमानत देने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गौरव तिवारी, पुलिस अधीक्षक रतलाम

पत्रिका 26/1/22

शहर सराय में किया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

जनसुनवाई में 31 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया

रतलाम ● स्वदेश समाचार
जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद द्वारा 31 आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए।

शहर सराय नि. श्यामसुंदर राठौड ने आवेदन देते हुए बताया कि शहर सराय में पुरानी हमदेश प्रेस वाली गली में कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर करीब 100 फीट अवैध अतिक्रमण पक्का निर्माण कर लिया गया है जिससे उक्त गली से वाहन निकलने में काफी परेशानी होती है, अत: उक्त गली को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए आयुक्त नगर निगम को भेजा गया है।

भाटों का वास निवासी गणेश सरतलिया ने बताया कि प्रार्थी विगत तीन वर्ष से हरदेवलाला पीपली के पास गुमटी लगाकर अपना जीवन-यापन करता था परन्तु कुछ दिनों पूर्व नगर निगम की गैंग द्वारा गुमटी बिना सूचना दिए उठा ली गई है जिससे प्रार्थी को आजीविका चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अत: प्रार्थी को गुमटी वापस दिलवाई जाए। निगम आयुक्त को प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है।

ग्राम पंचायत खेडीकला की प्रधान मंजूबाला तथा सचिव ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि शा. प्राथमिक विद्यालय भोजपुरा में दो शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों ही शिक्षक अनियमित रुप से स्कूल में आते हैं। न तो स्कूल खुल पाता है और न ही विद्यार्थियों की तरफ ध्यान दिया जाता है। अत: उक्त दोनों शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। प्रकरण नराकरण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है।

ग्राम भारोडा निवासी गिरवर पिता लक्ष्मण माली ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी के खेत से दूसरे खेत पर जा रही पाइप लाइन 8 लाइन कार्य के दौरान कार्य करने वालों द्वारा तोड दी गई थी तथा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को दोबारा लगाने की बात कही गई थी परन्तु एक साल बाद भी उक्त क्षतिग्रस्त पाइप लाइन ठीक नहीं की गई है जिससे फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही है तथा काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार ग्रामीण को प्रेषित किया गया है। स्वदेश

स्वदेश 26/1/22

वकील के साथ परिजन पहुंचे कोर्ट का स्टे आर्डर लेकर, आर्डर देखने के बाद हुई कार्रवाई

दीपू टांक के डीडीनगर मकान पर चली जेसीबी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई मंगलवार को दीनदयाल नगर स्थित सूदखोर दीपू टांक के मुख्य मार्ग स्थित तीन मंजिला मकान पर यह कार्रवाई करीब सवा घंटे तक चली। दीपू टांक के मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने के महज दस से 15 मिनट के अंदर ही टांक के वकील पंकज रजक ने मौके पर पहुंचकर स्टे आर्डर दिखाते हुए कार्रवाई रोकने को कहा। अधिकारियों ने वकील से स्टे आर्डर की कॉपी लेकर परीक्षण किया। निगम के विधि सलाहकार से चर्चा के बाद कार्रवाई फिर से शुरू कर दी।

दीपू टांक के तीन मंजिला मकान के आगे का पूरा हिस्सा ही पोकलेन मशीन की मदद से ढहा दिया गया। जो मकान दोपहर करीब तीन बजे तक शानदार दिखाई दे रहा था वह 3.10 मिनट से शुरू हुई कार्रवाई के बाद 4.27 मिनट तक जब कार्रवाई पूरी हुई तब बदसूरत मकान में तब्दील हो चुका था। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी पुलिस अमले के साथ दीनदयानगर स्थित दीपू टांक के मकान के सामने तोड़ने के लिए पहुंचे। महिलाओं को महिला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की मदद से बाहर निकलवाया तो उन्होंने जमकर विरोध किया। स्टे आदेश मिलने के बाद फिर महिलाओं ने विरोध जताना शुरू किया तो पुलिस बल ने दूर कर दिया।

विधिसम्मत कार्रवाई को अंजाम दिया गया

एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत के अनुसार नगर निगम ने दीपू टांक को एमओएस को लेकर नोटिसट दिया था। इसी नोटिस के तारतम्य में नगर निगम की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर भारी पुलिस बल और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। दीपू टांक के खिलाफ 30 से ज्यादा केस पुलिस में दर्ज है।

स्टे के बाद भी की गई कार्रवाई

दीपू टांक के मकान को तोड़ने से रोकने के लिए कोर्ट से हमने स्टे लिया था। स्टे की कापी भी मौके पर मौजूद अधिकारियों को दी लेकिन उन्होंने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना है। ये लोग कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। इस समय जो भी अधिकारी मौके पर हैं सभी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस लगाया जाए।
- पंकज रजक, दीपू टांक के वकील

पत्रिका 26/1/22

दिनदयाल नगर में मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर

रतलाम। अवैध कारोबारियों, असामाजिक तत्वों, बदमाशों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को प्रशासन ने दीनदयाल नगर मेनरोड पर बनाए गए एक मकान के बड़े हिस्से

▶ एमओएस से अधिक निर्माण

▶ नगर निगम ने दिया था नोटिस

को बुलडोजर से ढहा दिया। उक्त मकान दीपक उर्फ दीपू टांक का था,जिसके विरुद्ध तीस से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर चल रही मुहिम के तहत आज प्रशासन की टीम दीनदयाल नगर पंहुची,जहां मेन रोड पर बनाए गए एक भव्य मकान को तोडा जाना था। उक्त मकान दीपू उर्फ दीपक टांक का था,जिसके खिलाफ सूदखोरी व अन्य अपराधों की तीस से अधिक एफआईआर दर्ज है। उक्त मकान को एमओएस से अधिक निर्माण के चलते नगर निगम द्वारा तोडने का नोटिस दिया गया था।

इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए नगर निगम की टीम के अलावा एडीएम एमएल आर्य,सिटी एसडीएम अभिषेक गेहलोत और सीएसपी हेमन्त सिंह चौहान समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में

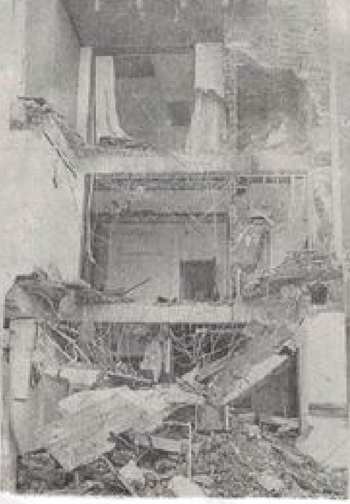

पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही जेसीबी से मकान तोडने की शुरुआत की गई, इसी दौरान वहां पंहुचे एक वकील ने न्यायालय का स्टे आर्डर अधिकारियों को दिखाया। अभिभाषक का कहना था कि उक्त भवन के लिए न्यायालय द्वारा स्थगनादेश प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में इस भवन को तोडा नहीं जा सकता। अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद मकान तोडने की कार्यवाही को पुनः शुरु करवा दिया।

मौके पर मौजूद एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने मीडीयाकर्मियों को बताया कि उक्त मकान में एमओएस से अधिक निर्माण किया गया है। इसके लिए नगर निगम द्वारा उक्त भवन स्वामी को नोटिस दिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में एमओएस से अधिक किए गए निर्माण को नगर निगम द्वारा तोडा गया है। नवभारत

नवभारत 26/1/22

प्रकाशित नियमावली अनुसार किया जाए नियमितीकरण - श्री काश्यप

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप ने नगर निगम प्रशासक को पत्र लिखकर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित नियमावली अनुसार अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने को कहा है। उनके अनुसार शासन द्वारा 13 जनवरी को अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु राजपत्र में नियमावली का प्रकाशन कर दिया गया है। इस अनुसार रतलाम में नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाना चाहिए।

विधायक श्री काश्यप ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में हजारों परिवार निवासरत हैं, जिन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा, लोन सुविधा एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्यों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। रतलाम में वर्ष 2018 में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 50 कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए निविदाएं जारी कर कार्य भी आरंभ कर दिया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के आदेश से सारे कार्य निरस्त कर दिए गए थे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में नई नियमावली के प्रकाशन के पश्चात जनहित के उक्त रुके हुए कार्य फिर से प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने निगम प्रशासक से रतलाम की अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के साथ-साथ इन कॉलोनियों में विकास कार्यों की शुरुआत भी जल्द करने पर जोर दिया है।

[illegible] 26/1/22

नियमावली अनुसार शीघ्र किया जाए अवैध कालोनियों का नियमितीकरण : काश्यप

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप ने नगर निगम प्रशासक को पत्र लिखकर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित नियमावली अनुसार अवैध कालोनियों के नियमितीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने को कहा है। उनके अनुसार शासन द्वारा 13 जनवरी को अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु राजपत्र में नियमावली का प्रकाशन कर दिया गया है। इस अनुसार रतलाम में नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाना चाहिए।

विधायक काश्यप ने बताया कि अवैध कालोनियों में हजारों परिवार निवासरत है, जिन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने पर भवन निर्माण अनुज्ञा, लोन सुविधा व मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्यों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। रतलाम में वर्ष 2018 में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 50 कालोनियों में विकास कार्यों के लिए निविदाएं जारी कर कार्य भी आरंभ कर दिया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के आदेश से सारे कार्य निरस्त कर दिए गए थे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में नई नियमावली के प्रकाशन के पश्चात जनहित के उक्त रुके हुए कार्य फिर से प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने निगम प्रशासक से रतलाम की अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के साथ-साथ इन कालोनियों में विकास कार्यों की शुरुआत भी जल्द करने पर जोर दिया है।

नईदुनिया 26/1/22

दीनदयाल नगर में ढहाया दीपू टांक का भव्य मकान

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के निर्माणों को ध्वस्त करने के अभियान के तहत आज प्रशासन ने दीनदयाल नगर मेनरोड पर बनाए गए एक भव्य मकान को बुलडोजर से ढहा दिया। उक्त मकान दीपक उर्फ दीपू टांक का था जिसके विरुद्ध तीस से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। मकान तोड़ने की कार्यवाही के दौरान प्रशासन को न्यायालय के स्टे आदेश की प्रतिलिपि भी दिखाई गई लेकिन आखिरकार प्रशासन ने मकान को तोड़ ही दिया।

विगत कुछ दिनों से शहर में प्रारंभ की गई गुण्डा विरोधी मुहिम के दौरान आज प्रशासन की टीम दीनदयाल नगर पंहुची जहां मेन रोड पर बनाए गए एक भव्य मकान को तोड़ा जाना था। उक्त मकान दीपू उर्फ दीपक टांक का था जिसके खिलाफ सूदखोरी व अन्य अपराधों की तीस से अधिक एफआईआर दर्ज है। उक्त मकान को एमओएस से अधिक निर्माण के चलते नगर निगम द्वारा तोडने का नोटिस दिया गया था।

इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए नगर निगम की टीम के अलावा एडीएम एमएल आर्य, सिटी एसडीएम अभिषेक गेहलोत और सीएसपी हेमन्त सिंह चौहान समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे।

किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही जेसीबी से मकान तोड़ने की शुरूआत की गई मकान में रहने वालों से इसका विरोध किया लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते उनका विरोध कोई असर नहीं दिखा पाया।

जेसीबी का पंजा चलना शुरू ही हुआ था कि इसी दौरान वहां पंहुचे एक वकील ने वहां पंहुचकर न्यायालय का स्टे आर्डर अधिकारियों को दिखाया। अभिभाषक पंकज रजक का कहना था कि उक्त भवन के लिए न्यायालय द्वारा स्थगनादेश प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में इस भवन को तोड़ा नहीं जा सकता। अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद मकान तोडने की कार्यवाही को पुनः शुरू करवा दिया।

मकान तोड़ने की कार्यव शुरू होने पर अभिभाषक रजक का कहना था कि न्याया के स्पष्ट आदेश के बाव अधिकारी जान बूझकर न्याया की अवमानना कर रहे है।

मौके पर मौजूद एसडी अभिषेक गेहलोत ने मीड कर्मियों को बताया कि मकान में एमओएस से अ निर्माण किया गया है। इसके नगर निगम द्वारा उक्त स्वामी को नोटिस दिया गया इसी परिप्रेक्ष्य में एमओएस अधिक किए गए निर्माण को निगम द्वारा तोड़ा गया प्रशासन के अधिकारी क व्यवस्था की स्थिति को ब रखने के लिए मौजूद है।

अवन्तिका

अवन्तिका 26/1/22

ब्याजखोर दीपू टांक का मकान तोड़ा

रतलाम ● स्वदेश समाचार

रतलाम में गुंडा तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। प्रशासन ने करीब 30 से अधिक गुंडा तत्वों की लिस्ट तैयार की है। जिन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। दीनदयाल नगर क्षेत्र में सूदखोर दीपू टांक के अवैध निर्माण को पोकलेन मशीन से जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। स्वदेश

सूदखोरी, धमकाने और मारपीट के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं दीपू पर- दीनदयाल नगर निवासी दीपू टांक पर शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सूदखोरी, धमकाने और मारपीट के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। बीते दिनों रतलाम पुलिस द्वारा चलाए गए सूदखोरों के खिलाफ अभियान में भी दीपू टाक के चंगुल में फंसे कई लोग सामने आए थे।

एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया कि हर थाना क्षेत्र से गुंडा तत्वों की सूची तैयार की गई है। जिनके विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

स्वदेश 26/1/22